भावनात्मक बोझ को उतारकर आगे बढ़ना है क्षमा : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने सोमवार को कोर्ट की अवमानना के एक मामले में अधिवक्ता की बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया।

यह मामला तीन जुलाई 2025 को न्यायालय में की गई टिप्पणी से जुड़ा था, जिसमें अधिवक्ता सेमसन सेमुअल मसीह ने कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मैं जानता था कि मुझे इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। इस टिप्पणी को न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध मानते हुए सिंगल बेंच ने इसे अवमानना करार दिया और मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष

भेजा गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ ने अधिवक्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जवाब आने के बाद प्रकरण पुनः संबंधित सिंगल बेंच को सौंपा गया।

मौलिक पश्चाताप के साथ अधिवक्ता ने मांगी माफी

सोमवार को अधिवक्ता सेमुअल मसीह न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और हलफनामे के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कोर्ट की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न दोहराने का वचन भी दिया। मौखिक रूप से भी उन्होंने गहन पश्चाताप प्रकट करते हुए माफी मांगी, जिसे कोर्ट ने प्रामाणिक और सच्चे हृदय से किया गया कृत्य माना। अपने आदेश में न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने क्षमा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि, जब कोई गहरा आघात पहुंचाता है, तो क्रोध और दुःख का अनुभव होना स्वाभाविक है। क्षमा करना कठिन हो सकता है, पर यह एक यात्रा है। इसका अर्थ गलती को उचित ठहराना नहीं, बल्कि भावनात्मक बोझ को उतारकर आगे बढ़ना है। यह आंतरिक शक्ति, साहस और उदार हृदय का प्रतीक है। न्यायालय ने माना कि अधिवक्ता की माफी वास्तविक है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए न्यायालय की गरिमा बनाए रखने की प्रतिबद्धता दिखाई है। अतः बिना शर्त क्षमा प्रदान करते हुए अवमानना प्रकरण समाप्त किया गया। इस आदेश की प्रति मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को भेज दी गई है।